



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण 1943 (श0)
(सं0 पटना 1019) पटना, मंगलवार, 21 दिसम्बर 2021

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना

16 दिसम्बर 2021

सं० अ०सं०क०-01-17/2011/203—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्र संख्या-11 दिनांक-26.08.2021 के आलोक में 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित निम्नलिखित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों को निम्न शर्तों के साथ वेतनमान 9300-34800/-ग्रेड पे०-5400 पुनरीक्षित वेतनमान 53100-167800/- लेवल-09 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ उनके नाम के सामने स्तम्भ-05 में अंकित जिला कार्यालय में परिवीक्षा पर पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	मेधा क्रमांक	गृह जिला	पदस्थापन का जिला	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	कन्हैया कुमार	36	जमुई	अररिया	सहायक निदेशक (अपने वेतनमान में) के पद पर।
2.	विवेक कुमार केशरी	42	रोहतास	नवादा	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर।
3.	नीलम मिश्रा	56	गोरखपुर (यू०पी०)	औरंगाबाद	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर।
4.	मनीष कुमार	120	वैशाली	भागलपुर	सहायक निदेशक (अपने वेतनमान में) के पद पर।
5.	आनन्द कुमार	435	कटिहार	सुपौल	सहायक निदेशक (अपने वेतनमान में) के पद पर।
6.	सुमित कुमार	540	नालन्दा	मुंगेर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर।

2. सभी नव-नियुक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का परीक्ष्यमान की अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की होगी।
3. उपर्युक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों को औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र की सम्पुष्टि के क्रम में यदि प्रमाण पत्र में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से नियुक्ति को रद्द करते हुए संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
4. सभी नव-नियुक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की वरीयता सूची बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
5. नव-नियुक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा योगदान के समय शैक्षणिक/जाति/चरित्र प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्रों के जाँचोपरान्त एवं उचित पहचान के पश्चात नियमानुसार योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
6. सभी नव-नियुक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 माह के अंदर संबंधित जिला पदाधिकारी को योगदान समर्पित करेंगे। 01 माह की अवधि बीत जाने के बाद बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/सहायक निदेशक(अपने वेतनमान में) द्वारा दिये गये योगदान को स्वीकृत करते हुए तत्संबंधी सूचना विभाग को देंगे।
7. विभागीय अधिसूचना संख्या-408 दिनांक-08.02.2017 की कंडिका-10 की उपकंडिका-(1) एवं (2) की शर्तें सेवा सम्पुष्टि एवं वेतन वृद्धि के मामले में लागू रहेंगी।
8. सभी नव-नियुक्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (अपने वेतनमान में) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज ने लेने संबंधी घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से योगदान के समय प्रस्तुत करेंगे।
9. दिनांक-01 सितम्बर 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू है, अतएव इनके मामले में नई पेंशन स्कीम लागू होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
डा० अमीर आफाक अहमद फैजी,
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1019-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>